सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 27.02.2026

- **इटावा पुलिस द्वारा पीड़ित के शत-प्रतिशत रुपये कराये गये वापस।**
- **लोन दिलाने के नाम पर यूपीआई के माध्यम से निकाले गये 4 लाख रुपये।**
- **एसएसपी इटावा के निर्देशन में थाना साइबर क्राइम द्वारा की गयी कार्यवाही।**

जनपद इटावा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के सबंध में कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम इटावा द्वारा साइबर फ्रॉड यूपीआई के माध्यम से निकाले गये पीड़ित के 4,00,000/- रुपये पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण धनराशि वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक देवेश कुमार पुत्र महेश चन्द्र निवासी ग्रा० टाडा, पो० वेर थाना भरथना, जनपद इटावा द्वारा अपने साथ दिनांक 07.02.2026 को अपनी पत्नी के खाते से किसी अंजान व्यक्ति द्वारा लोन दिलाने के नाम पर साइबर फ्रॉड यूपीआई के जरिये 4,00,000/- रुपये निकाल लेने के संबंध में थाना साइबर क्राइम पर प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा थाना साइबर क्राइम इटावा को घटना का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए विभिन्न माध्यमों से साक्ष्य संकलन किये गये एव बैंक अधिकारी/पेमेण्ट गेटवे के नोडल अधिकारी इत्यादि से समन्वय स्थापित/वार्ता कर प्रार्थी के रुपये वापस करने का प्रयास किया गया जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए **आज दिनांक 27.02.2026 को पीड़ित के 4,00,000 /- रुपये शतप्रतिशत वापस कराये गये है।**

अपने रूपये वापस पाकर पीडित द्वारा प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना साइबर क्राइम व इटावा पुलिस व एसएसपी इटावा की प्रशंसा की गई तथा थाना साइबर क्राइम टीम का विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

क्र.सं.	नाम वादी	वापस करायी गयी धनराशि
01.	देवेश कुमार पुत्र महेश चन्द्र	4,00,000/-रु0

पुलिस टीमः- प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा, नि0 श्री संजय सिंह, उ0नि0 श्री चन्द्र भूषण दुबे, क0ऑ0 अनुज कुमार, का0 सुन्दरम सिंह, का0 आदित्य देओल, का0 संदीप सिंह, म0का0 मीनाक्षी तोमर।